INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature-
ACC Name-Dinesh Yadav
ACC Code-UP14425904
ACC Add.-Teh. Lalganj,Azamgarh
Mobile No.-6090[illegible], L.No.-24
Tehsil-Lalganj, District-Azamgarh

Certificate No.	:	IN-UP53055160371430U
Certificate Issued Date	:	17-Nov-2022 02:22 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14425904/ LALGANJ/ UP-AZG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14425904989971118221 67U
Purchased by	:	SHITALA RAGHURAJ GURUKULM TRUST TAHIRPUR AZAMGARH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	MAUZA-TAHIRPUR, TEH-LALGANJ, AZAMGARH,
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHITALA RAGHURAJ GURUKULM TRUST TAHIRPUR AZAMGARH
Second Party	:	SHITALA RAGHURAJ GURUKULM TRUST TAHIRPUR AZAMGARH
Stamp Duty Paid By	:	SHITALA RAGHURAJ GURUKULM TRUST TAHIRPUR AZAMGARH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,250 (One Thousand Two Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

कविता सिंह

JD 0000274635

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

न्यास विलेख (Instument of Trust)

शीतला रघुराज गुरूकुलम ट्रस्ट

ताहिरपुर (रामायण) लालगंज, आजमगढ़

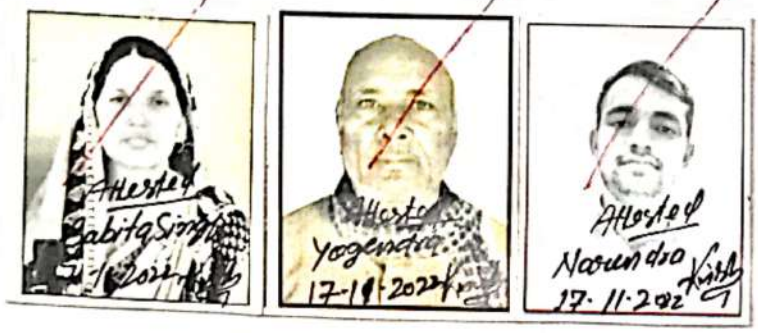

यह न्यास विलेख श्रीमती बविता सिंह पत्नी अनिल कुमार सिंह उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम ताहिरपुर, पो0 साफीपुर उर्फ सरुपहां, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ (मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक) द्वारा दिनांक 17.11.2022 को लिखा गया।मो0 नं0 9532222193 आधार नं0 XXXX XXXX 6505

न्यास का नाम – यह कि सभी ट्रस्टियों ने अपनी संस्था का नाम **शीतला रघुराज गुरूकुलम ट्रस्ट ताहिरपुर (रामायण) लालगंज, आजमगढ़** रखा है। भविष्य में इस ट्रस्ट को ट्रस्टियों की आपसी सहमति से किसी अन्य संस्था में भी बदल सकते है और किसी अन्य संस्था को भी इस ट्रस्ट के द्वारासंचालित किया जा सकता है।

1. **न्यास का स्थायी पता** – वर्तमान में इस ट्रस्ट का स्थायी पता ग्राम ताहिरपुर तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ है। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रुप से संपादित करने के उद्देश्य से अन्य कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है। हम मुकिर के द्वारा जो संस्थाएं स्थापित कर उनका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों मे दिया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास/ ट्रष्ट के अधीन जानी व समझी जायेगी।

बविता सिंह

Scanned with OKEN Scanner

2. **न्यास का प्रस्तावना** – मुख्य ट्रस्टी के पति अनिल कुमार सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, व लोंगो के साथ स्नेहिल सम्बन्ध रखने के लिए क्षेत्र में चर्चित है। इनकी इच्छा है कि अपने क्षेत्र के युवा अनुशासित हो और आगे जा कर विश्व का नेतृत्व करें। उन्ही के आदर्शों एवं इच्छा तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समाज की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है।

इस ट्रस्ट के उद्देश्यों और शर्तो को एक संविधान के अन्तर्गत घोषित करने की जाने की आवश्यकता है। अतः ट्रस्ट को संचालित करने के लिए नियमावली निम्नवत् है :–

1. यह कि अपने ट्रस्ट को आरम्भ करने के लिए मुख्य ट्रस्टी / संस्थापक के अंकन 5000/– (रूपये पॉच हजार) की सुरक्षित धनराशि फण्ड में जमा कर दी है।
2. यह कि इस ट्रस्ट के फण्ड में जिसमें सभी प्रकार की नगद जमा पूॅजी व किसी भी प्रकार की सम्पत्ति व किसी प्रकार निवेश या इनमें से कोई वस्तु आपस में परिवर्तित हो जाय जो समय समय पर निवेश के लिए हो अथवा ट्रस्टी ने प्राप्त किया है अथवा वह धन किसी भी संविधान के तहत उनको प्राप्त होता है जिनका सम्बन्ध उपरोक्त बातों से है एवं वह मुख्यट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हित के लिए समय समय पर आगामी योजनाओं का घोषणा आदि में शामिल है।

4 **न्याय के पदाधिकारी** – यह कि हम मुकिर न्यास के संस्थापक एवं मुख्यट्रस्टी होंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन एवं व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने को सहमत है व न्यास के न्यासी नामित करते है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या कम से कम 5 व अधिकतम 11 होगी (मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी सहित) न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित न्यास / ट्रस्ट के व्यक्तियों के नाम पद एवं विवरण निम्नलिखित है–

बबिता सिंह

Scanned with OKEN Scanner

क्र0	नाम	पता	पद
1	श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 शीतला प्रसाद	ग्राम ताहिरपुर, पो0 सरुपहां जिला आजमगढ़।	अध्यक्ष/संस्थापक
2	श्रीमती बबिता सिंह पत्नी अनिल कुमार सिंह	ग्राम ताहिरपुर, पो0 सरुपहां तह0 लालगंज, जिला आजमगढ़।	मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक
3	शिलांकी सिंह पुत्री पुत्री अनिल कुमार सिंह	ग्राम ताहिरपुर, पो0 सरुपहां तह0 लालगंज, जिला आजमगढ़।	कोषाध्यक्ष
4	शिवानी सिंह पुत्री अनिल कुमार	ग्राम ताहिरपुर, पो0 सरुपहां तह0 लालगंज, जिला आजमगढ़।	सदस्य
5	शिल्पा सिंह पत्नी अविनाश सिंह	सतबरी रोड, किदवई नगर, कानपुर	सदस्य

5 **न्यास के उद्देश्य :–**

1. यह कि उपरोक्त ट्रस्ट परमार्थिक एवं जन कल्याण के उद्देश्य से सम्पूर्ण विश्व के किसी भी स्थान पर नागरिकों के लिए शिक्षा संस्थान जैसे – तकनीकी महाविद्यालय अन्य किसी भी प्रकार की तकनीकी संस्था आई0 टी0 आई0, पालीटेक्निक, डेन्टल कालेज, अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से यू0 पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड आई0 सी0 एस0 ई0 बोर्ड के कालेज महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, मैनेजमेन्ट संस्थाएं, क्लिनिक, नर्सिग होम, चिकित्सालय, हेल्थ रिसार्ट, छात्रावास और आवास, धर्मशाला, कानून महाविद्यालय, बी0ए0/ बी0टी0सी0, बी0एड0, शादी–विवाह हेतु शादी घर, सुलभ शौचालय, योगा प्रशिक्षण केन्द्र एवं किसी भी प्रकार का चैरिटेबल संस्था /संगठन किसी भी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा एवं बच्चों के सुख एवं उन्नति हेतु संस्थाओ का निर्माण एवं संचालन करना अथवा नगद धन से सहायता करना है तथा छात्रवृत्ति देना, मुफ्त एजुकेशन देना, हास्टल, गौशाला आदि की स्थापना करना तथा संचालन करना।

2 यह कि ट्रस्ट द्वारा बुजुर्ग तथा अनाथ व्यक्तियों के लिए शैटर हाउस की स्थापना करके उनका संचालन करना, उनकी हर प्रकार से सहायता करना, अथवा निर्धन असहाय (जरुरतमन्द) अपंग व्यक्तियों,

बबिता सिंह

Scanned with OKEN Scanner

अनाथों, विधवाओं और वृद्ध व्यक्तियों के लिए मेडिकल सहायता, भोजन की व्यवस्था, कपड़ो की व्यवस्था व अन्य सहायता करना है।

3 यह कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्मिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सभी विषयों पर समाज को जागरुक करने के उद्देश्य से गोष्ठी आदि कार्यक्रम करना।

4 यह कि देश में पर्यावरण एवं वातावरण के सन्दर्भ में जागृति कर कार्यक्रम बनाना एवं क्रियान्वयन करना।

5 यह कि देश में नशा उन्मूलन, चरित्र निर्माण, सामाजिक, राष्ट्रीय उन्नयन के सभी तरह के कार्यक्रम करना।

6 यह कि पिछड़े क्षेत्रो में विकास कार्यक्रम बनाकर कार्यक्रम को सम्पन्न करना भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना जागृत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना।

7 यह कि देश के विभिन्न धर्म एवं समाज कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करना।

8 उपरोक्त संरचनात्मक कार्यो के सम्पादन हेतु जमीन खरीदना/प्राप्त करना एवं समस्त संस्थाओं के संचालन हेतु आवश्यक पदों का सृजन करना औश्र सृजित पदों पर नियुक्त करना या आवश्यकता के अनुरूप अन्य पद सृजित कर दक्ष, नैतिक रूप से चरित्रवान लोंगों को कार्य पर लगाना।

9 ज्ञात स्रोतो से पुस्तकों को खरीदना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, चिकित्सा क्षेत्र में आवश्यक साधन, सामग्री एवं जीवन रक्षक दवाईयों कोखरीदना एवं वितरण करना।

10 ट्रष्ट द्वारा समय समय पर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम शहीदों जैसे– चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सुबाष चन्द्र बोष, इत्यादि एवं भारत के कई महान विभूतियां जैसे स्वामी विवेकानन्द, राजाराम मोहन राय, सरदार बल्लभ भाई पटेल, इत्यादि के नाम पर विभिन्न कार्यक्रम करना एवं उक्त कार्यक्रमों के माध्यम से लोगो को चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना।

11 विद्यार्थियों एवं संस्था से सम्बन्धित लोगो के रहने हेतु भवन एवं भोजन व छात्रावास (आवासीय सुविधाओं सहित) का निर्माण करना।

Scanned with OKEN Scanner

12 उपरोक्त उद्देश्य के बढ़ने पर सम्पत्ति खरीदने हेतु ट्रष्टीज के परिषद द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार सरकारी/अर्द्ध सरकारी या गैजी स्रोतो से वित्त हेतु आवेदन करना एवं अनुदान/दान प्राप्त करना।

13 इस डीड के अन्तर्गत जिस संस्था का निर्माण होना है या फिर जिस भी संस्था का निर्माण हो चुका है उसमें निमित्त ट्यूशन फीस लगाना या संस्थाओ से प्राप्त आय से ही संस्थाओं का रख रखाव/निर्वहन में लगने वाले खर्चो को व्यय करना।

14 ट्रष्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए दान, अनुदान, उपहार, दवाईयां किताबे यन्त्र एवं साधन सामग्री, नगद या किसी भी रूप में प्राप्त करना।

15 ट्रष्ट की सम्पत्ति और ट्रष्ट के उद्देश्य के निर्वहन हेतु यांत्रिक प्रबन्ध की व्यवस्था एवं क्रियान्वन करना।

16 अन्य जनोपयोगी ट्रष्टो या संस्थाओं को सहायता स्वीकृति प्रदान करना।

17 ट्रष्ट द्वारा उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिसको विभागों व एन0 जी0 ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

18 लिंग– भेद, जाति – पाति, छुआ– छूत, ऊँच नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर/आदि की व्यवस्था करना।

19 सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पडी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधे को बडे पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटियों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधो या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधो को रोपण करना।

20 नर्सिंग कालेज व पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों तथा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, फार्मेसी कालेज, एलोपैथिक मेडिकल कालेजों तथा हास्पिटल एवं आयुष मेडिकल कालेज एवं आयुष हास्पिटल की स्थापना करना व संचालन करना तथा एरोनाटिक्स के सभी कोर्सों हेतु प्रशिक्षण संस्थान/कालेज की स्थापना करना एवं संचालन करना। महाविद्यालय की स्थापना करना।

21 होमियो पैथिक एव पैरामेडिकल कालेजों की स्थापना करना तथा संचालन करना।

बबिता सिंह

Scanned with OKEN Scanner

22 समाज में व्याप्त बुराईयो जैसे अन्ध विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, जाति– पाति एवं छुआ–छूत की भावनाए एवं शैक्षिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

23 विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा, जिम्नाष्टिक, जूडो कराटे कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलो को बढावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

24 विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण जागरूकता प्रशिक्षण कैम्प सहायता एवं हैण्ड पम्प की व्यवस्था करना।

25 ग्रामीण शहरी क्षेत्रो में भीखारियों झुग्गी झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास भोजन पेय जल स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हे बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

26 सरकार की सहायता से गांवो एवं शहरो के विकास हेतु पेय जल, शौचालय, नाली, सड़क, निर्माण खड़ण्जा, पिच पार्क शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना

27 प्राकृतिक आपदा जैसे हैजा प्लेग भूखमरी, बाढ़ आग सूखा, अकाल, चकवात, भूकम्प दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगो की सहायता करना तथा प्रभावित गांव, व्यक्तियों एव पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हे सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगो को बचाव एवं रणनिति के लिए सहयोग/जागरूकता/प्रशिक्षित करना इसके लिए लोगो संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी सामिल है।

28 लावारिस, असहाय, पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेष कर कुत्तों एवं गांयो की देखभाल के साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना। गोवंशी जीवो की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला एवं गोशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकने तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

बबीता सिंह

Scanned with OKEN Scanner

29 तत्काल सुविधा पहुचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल, एमर्जेन्सी एम्बूलेन्स/ब्लड बैंक की व्यवस्था करना।

30 यह कि जन कल्याण एवं समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाओ से वित्तिय सहयोग प्राप्त करना एवं संस्था के लिए अन्य आय वृद्धि कार्यकमों के संचालन के लिए प्रयास करना।

31 अन्य संस्थाओं को फैन्चाइजी देना और लेना तथा पूर्व से संचालित संस्थाओ को लेना देना व संचालन करना आदि।

6. मुख्य ट्रस्टी /सेटलर ट्रस्टी एवं ट्रस्टियो के अधिकार एवं कर्तव्य–

(ए) यह की उपरोक्त ट्रस्ट की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य ट्रस्टी /(व्यवस्थापक) की होगी एवं भविष्य में ट्रस्ट के द्वारा संचालित किसी भी शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध–समिति के प्रबन्धक मुख्य ट्रस्टी होंगे। शैक्षिक संस्था के प्रबन्ध–समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष एवं प्रबन्धक करेगें। मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) की सहमति व आदेश के अनुसार ही सभी कार्य होंगे जो सभी ट्रस्टी (ट्रस्ट के सदस्यों) को मान्य होंगे, इसमें किसी भी अन्य ट्रस्टी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(बी.) यह कि ट्रस्ट की आय के लिए मुख्य ट्रस्टी, आयकर अधिनियम 1916 की धाराओं तथा नियमों के तहत जिससे चाहे, जिस प्रकार के चाहें फण्ड या दान या सहयोग ले सकता है, या किसी भी प्रकार का फण्ड निर्धारित करके किसी भी नये व्यक्ति को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त कर सकता है इसमें अन्य ट्रस्टीयों/ट्रस्ट के सदस्यों का कोई हस्तक्षेप मान्य नहीं होंगा।

(सी.) यह कि ट्रस्टीज समय–समय पर प्राप्त रकम में से इस ट्रस्ट का कार्य सुचारू रूप से चलायेगें। इस ट्रस्ट के धन का प्रयोग केवल ट्रस्ट के कार्यों के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं तथा नियम के तहत होगा, इसके अलावा किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं किया जायेगा। ट्रस्ट के धन को इस प्रकार रखा जायेगा कि कुछ फण्ड से प्राप्त शुध्द आय में से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय किया जा सके, लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो मूल रकम में से भी व्यय किया जायेगा।

(डी.) यह कि इस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी उक्त संस्था के खाते की धनराशि एवं सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) के आदेशानुसार उचित रूप से संचालित करते रहेंगे और उक्त ट्रस्ट की धनराशि को ट्रस्ट के फण्ड में रखा जायेगा।

वर्षा सिंह

Scanned with OKEN Scanner

(ई.) ट्रस्ट के ट्रस्टी का कर्तव्य होगा कि वे ट्रस्ट के अधिनियम लाभार्थ कार्य करें तथा ट्रस्ट को सतत कायम रखने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहें।

(एफ.) मुख्य ट्रस्टी को अपनी उक्त संस्था चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति से दान, योगदान और किसी भी प्रकार की सहायता शर्त अथवा बिना शर्त के स्वीकार कर सकतें हैं लेकिन मुख्य ट्रस्टी के अलावा अन्य किसी ट्रस्टी को सेटलर के लिखित पत्र के बिना कोई शर्त व योगदान मान्य व स्वीकार नहीं होंगा।

(जी.) उक्त ट्रस्टी अपने ट्रस्ट की आय को बढ़ाने के लिए ट्रस्ट के हित में उचित कार्य करेंगे लेकिन उसमें मुख्य ट्रस्टी की सहमति आवश्यक है।

(एच.) समयानुसार ट्रस्ट की सम्पत्ति अथवा किसी भी प्रकार के निवेश के सम्बन्ध में कार्य करना केवल मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी का अधिकार होगा।

(आई.) मुख्य ट्रस्टी इस ट्रस्ट की धनराशि को संस्था के कार्य के लिए सिक्योरिटी आदि के रूप में निवेश अथवा खर्च कर सकता है ट्रस्ट की सम्पत्ति को किसी बैंक अथवा विभाग आदि में वहन कर सकते हैं और उसके व्याज व उसकी अदायगी को ट्रस्ट फण्ड से अदा करेंगे।

(जे.) ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अपनें ट्रस्ट फण्ड में बृध्दि करने के लिए किसी भी सम्पत्ति को अपने–अपने हस्ताक्षरों के द्वारा खरीद सकतें हैं किन्तु ट्रस्ट की कोई भी सम्पत्ति सेटलर या मुख्य ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से बेच सकते हैं इसमें ट्रस्ट के किसी भी सदस्य या ट्रस्टी को कोई आपत्ति या ऐतराज करने का अधिकार नहीं होगा।

(के.) ट्रस्ट के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्य ट्रस्टी उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति को अपनी शर्तों के अनुसार किराये पर दे सकती है तथा किराया वसूल कर सकते है इसमें किसी ट्रस्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(एल.) ट्रस्टी ट्रस्ट सम्पत्तियों का समुचित लेखा जोखा रखेगें तथा ट्रस्ट सम्पत्तियों का गर्वनमेंन्ट शिड्यूल बैंक या अन्य निर्णय अनुसार विनियोजन करना, जमा करना, निकालना आवश्यक होने पर लोन लेना, वापस करना, ब्याज देना व ट्रस्ट के उद्देश्यों पर खर्च करने हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे। मुख्य ट्रस्टी उक्त ट्रस्ट के किसी भी बैंक में संयुक्त/एकल खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन अपने–अपने हस्ताक्षरों द्वारा कर सकते हैं तथा अपनी सुविधानुसार किसी भी व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकते है और उस सम्पूर्ण खाते के देख–रेख का भार व खाते को मेन्टेन करने का अधिकार दे सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

(एम.) मुख्य ट्रस्टी अपने ट्रस्ट के लिए सभी मामलों को एडजस्ट (समायोजन) कर सकता है किसी भी प्रकार की स्थापना समझौता कर सकता है किसी को अपने साथ मिला सकता है एवं सभी प्रकार के न्यायायिक मामलों आदि का निस्तारण आदि कर सकता है तथा किसी भी वाद–विवाद या अन्य कार्य के बाबत वकील/एडवोकेट नियुक्त कर सकता है।

(एन.) ट्रस्ट के विकास एवं संचालन व ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय–विक्रय हेतु मुख्य ट्रस्टी अपनी ओर से किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को अपने अधिकार (मुखतारनामा आम या खास द्वारा) दे सकते हैं जिसके आधार पर उक्त व्यक्ति को हर प्रकार की कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ओ.) मुख्य ट्रस्टी जनता के लाभ के लिए किसी भी संस्थान/ट्रस्ट जो धन के अभाव के कारण नहीं चल सकती है उसको अपने ट्रस्ट में शामिल अथवा अपनी ट्रस्ट की नई शाखा इन्हीं उद्देश्यों के लिए कर सकता है।

(पी.) ट्रस्टी अपनी संस्था के फण्ड की धनराशि ट्रष्ट के कार्य के उद्देश्यों में व्यय करेगें इसके अलावा वह किसी अन्य निजी हितों में व्यय नहीं करेंगे।

(क्यू) मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि उक्त ट्रस्ट के संचालन हेतु किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखने, उसकी सेलरी (तनख्वाह) ट्रस्ट कोष से अदा करने, सेलरी निर्धारित करने, उसे नौकरी से निकालने या रखने, इसमें किसी भी ट्रस्टी या ट्रस्ट के सदस्य या हस्तक्षेप मान्य व स्वीकार नहीं होंगा।

(आर.) मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट फण्ड से किसी ऐसे समर्पित शैक्षिक संस्था, सोसाइटी, आर्गेनाइजशन एवं ट्रस्ट को दान देने का अधिकार होगा जो शिक्षा (एजुकेशन) से सम्बन्धित हो।

(एस.) मुख्य ट्रस्टी का अधिकार होगा कि वह किसी भी प्राइवेट भूमि या सरकारी भूमि को अपने हस्ताक्षरों से ट्रस्ट के नाम लीज डीड पंजीकृत करायें, किराया निर्धारित करें और उक्त भूमि पर बिल्डिंग का निर्माण करे किसी भी प्राधिकरण या संस्थान से नक्शा पास करायें, किसी भी निकाय/नगर निगम/प्राणिकरण आदि में कोई भी शुल्क जमा करें।

Scanned with OKEN Scanner

(टी.) मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सरकारी/गैर सरकारी विभाग/संस्था, अर्बन, लोकल, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला कमेटी, कार्पोरेशन कम्पनीज, व्यक्ति विशेष से सहायता हेतु आवेदन करे या सहायता प्राप्त करें।

(यू.) मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह स्वस्थ मानसिक दशा में उक्त ट्रस्ट के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त ट्रस्ट को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था/ सोसाइटी किसी अन्य ट्रस्ट/संस्था कार्पोरशन इन्स्टीट्यूट को सेटलर ट्रस्टी की सहमति से सौंप (हैन्ड ओवर) सकता है।

7.न्यास/ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था–

1 यह कि मुख्य ट्रस्टी उपरोक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी/न्यासी एवं ट्रस्ट के सदस्यों (सेटलर ट्रस्टी को छोड़ कर) और कर्मचारियों को जब भी चाहें ट्रस्ट के हितों को ध्यान में रखते हुए हटा सकते हैं और इसके स्थान पर अन्य कोई भी नया सदस्य बना सकते हैं तथा मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह कोई भी नये ट्रस्टी सदस्य (जितले भी मुख्य ट्रस्टी चाहें) मेम्बरशिप निर्धारित कर अपने ट्रस्टी पत्र पर लिखकर मेम्बरशिप (सदस्यता) दे सकता है और जब भी मुख्य ट्रस्टी चाहे सदस्यता समाप्त कर सकता है। इस बाबत ट्रस्ट के किसी भी सदस्यों (नये व पुराने) को कोई ऐतराज या दावा–विवाद मान्य व स्वीकार नहीं होगा तथा उन्हें किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद योजित करने का अधिकार नहीं होगा।

2 मुख्य ट्रस्टी/ (व्यवस्थापक) दोनों को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के हितों को ध्यान मे रखते हुए ट्रस्ट को चलाये व अपने जीते जी बच्चों या जिसे भी चाहें अपना–अपना उत्तराधिकारीयों का समूह नियुक्त करें। यह भी न्यासी/ट्रस्टी व ट्रस्ट के सदस्यों को मान्य व स्वीकार होगी।

3 यह कि यदि किसी कारणवश मुख्य ट्रस्टी/(व्यवस्थापक) नहीं रहते हैं (मृत्यु हो जाती है या मेडिकल रूप से अनफिट हो जाते है) तो ऐसी दशामें पत्नी/पुत्र/पुत्र बधू/पौत्र ही मुख्य ट्रस्टी/सेटलर ट्रस्टी होंगे और यदि मुख्य ट्रस्टी/सेटलर ट्रस्टी के बच्चे नाबालिग हैं तो ऐसी दशा में एक दूसरे के समस्त अधिकार एक दूसरे को स्वतः मिल जायेगा और उनका निर्वाह वह तब करेगा जब तक मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्टी के बच्चों में से जिसे भी (चाहे एक व सभी बच्चों को) वह इस ट्रस्ट के योग्य समझतें हुए शामिल कर सकता है।

बबीता सिंह

Scanned with OKEN Scanner

4 यह कि मुख्य ट्रस्टी एवं सेटलर ट्रस्टी केवल उसी धनराशि के लिए जिम्मेदार होगा जो उसने अपने–अपने हस्ताक्षरों से प्राप्त की है व खर्च की है, अन्य किसी भी ट्रस्टी/ट्रस्ट सदस्य के द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि व खर्च की गयी धनराशि की जिम्मेदारी मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्टी (व्यवस्थापक) की नहीं होगी।

5 यह कि प्रत्येक ट्रस्ट के सदस्य को अधिकार होगा कि वह एक माह का लिखित नोटिस देकर उक्त ट्रस्ट को छोड़ सकता है।

6 यह कि ट्रस्ट के किसी बिन्दु/विवाद पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

7 ट्रस्ट के लक्ष्य एवं उद्देष्यों के प्राप्ति हेतु ट्रस्ट के नियम/बाईलाज में कोई संशोधन करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी, सेटलर ट्रस्टी (व्यवस्थापक) एवं ट्रस्टियों में निहित रहेगा कोई भी संशोधन 2/3 सदस्यों के सहमति की दशा में ही किया जा सकेगा।

8 यह कि ट्रस्ट का प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि 31 मार्च होगी तथा ट्रस्ट द्वारा सभी प्रकार का लेखा पुस्तकें कैश बुक, लेजर आदि अपने रजिस्टर्ड आफिस में रखी जायेगी तथा ट्रस्ट के ट्रस्टी को मुख्य ट्रस्टी की अनुमति के समय–समय पर इनको जॉच कराने का अधिकार होगा। ट्रस्ट की बैलेंस सीट आय–व्यय खाता एकाउन्टेण्टया आडिटर की मदद से वित्तीय वर्ष के अन्त में तैयार किया जायेगा तथा ट्रस्ट द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेण्ट द्वारा आडिट कराया जायेगा। अक्त सभी दस्तावेजों पर मुख्य ट्रस्टी/ (व्यवस्थापक) के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।

8 <u>न्यास/ट्रस्टी की बैठक–</u>

1 यह कि सभी ट्रस्टी कार्यो के संचालन हेतु एक वार्षिक बैठक होगी। उक्त बैठक की सूचना ट्रस्टियों को एक सप्ताह पूर्व सेटलर ट्रस्टी द्वारा देना आवश्यक है। ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार आपात बैठक हेतु सभी ट्रस्टियों को सेटलर ट्रस्टी द्वारा 24 घण्टे पूर्व सूचना दी जायेगी। बैठक की कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी/ (व्यवस्थापक) द्वारा संचालित की जायेगी और लिखी जायेगी। बैठक के कोरम के लिए कम से कम 2/3 ट्रस्टियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

2 उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के किया–कलापों, एवं आय–व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। मुख्य ट्रस्टी/सेटलर ट्रस्टी द्वारा कोई अन्य प्रस्ताव आने पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

3 न्यास/ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगी तथा आवश्यकतानुसार कम व ज्यादा हो सकती हैं

बबिता सिंह

Scanned with OKEN Scanner

अतः यह ट्रस्ट विलेख आप दिनांक 17.11.2022 ई0 को स्थान– उपनिबन्धक कार्यालय, तहसील–लालगंज, जनपद–आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत के मुख्य ट्रस्टी ने अपने खुशी व रजामन्दी से शुध्द बुद्धि व स्वस्थ मानसिक दशा में प्रसन्नचित होकर निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया कि सनद/प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

श्रीमती बबिता सिंह
ट्रस्टी / अध्यक्ष

योगेन्द्र सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी ग्राम कोटा खुर्द, पो0 साफीपुर उर्फ सरुपहां, परगना देवगांव, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़।

मो0 नं0 9559310138 आधार नं0 XXXX XXXX 5971 गवाह प्रथम

नरेन्द्र यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी ग्राम शेखूपुर, पो0 कटौलीकला, परगना देवगांव, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़।

मो0 नं0 9140478818 आधार नं0 XXXX XXXX 0473 गवाह द्वितीय

ई –स्टाम्प संख्या IN-UP53055160371430U दिनांक 17.11.2022

मसविदाकर्ता

Krishna Kumar Vishwakarma
UPB5637/09 ADVOCATE
लालगंज आजमगढ़

टंकणकर्ता

आनन्द गौंड
लालगंज आजमगढ़

बबिता सिंह

Scanned with OKEN Scanner